रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 1974/माघ 10, 1895

No. 50] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 1974/MAGHA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

CORRIGENDA

New Delhi, the 28th January 1974

S.O. 73(E).—In the Commission's notification No. 282/OR/73, dated 31st December, 1973, published in an Extraordinary issue of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 31st December, 1973, as S.O. 801(E), the following corrections shall be made:—

(i) On page 2966 in Table A, under column 2, against 4. Jajpur (SC), in second line *for* '28-Bari-Derabi' *read* '28-Bari-Derabisi';

(ii) On page 2971 in Table B, under column 2, against 40. Mahanga, in first line *for* 'in' *read* 'and';

(iii) On page 2976 in Table B, under column 2, against 79. Parlakhemundi, in third line *for* 'Kerandat' *read* 'Kerandi'; and

(iv) On page 2984, in the Note, after the words and figures "1st day of December, 1973" insert the words and figures "except that the reference to wards in Cuttack City shall be taken to mean the wards within that City as on the 1st day of March, 1973".

[No. 282/OR/73]

By order,

P. I. JACOB, Secy.

भारतीय परिसीमन आयोग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1974

एस० ओ० 73 (अ).—उड़ीसा भारत के राजपत्र, असाधारण अंक, भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (II) में तारीख 31 दिसम्बर, 1973 को का० आ० 801 (अ) के रूप में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना संख्या 282/उड़ीसा/73, तारीख 31 दिसम्बर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे —

(1) पृष्ठ 2996/3 पर सारणी ख में, स्तम्भ 2 के अधीन, 79—परलखेमुण्डी के समक्ष, चौथी पंक्ति में 'केरंडा' के स्थान पर 'केरंडी' पढ़ा जाए ;

(2) पृष्ठ संख्या 2996/4 पर सारणी ख में, स्तम्भ 2 के अधीन 82—रायागाड़ा (अ० ज० जा०) के समक्ष, प्रथम पंक्ति में 'कोरापट' के स्थान पर 'कोरापुट', तृतीय पंक्ति के अन्त में "कनाग्राम" के स्थान पर "कनागाम" पढ़ा जाए ;

(3) पृष्ठ संख्या 2996/4 पर सारणी ख में, स्तम्भ 2 के अधीन, 87—चित्रकोंडा (अ० ज० जा०) के समक्ष द्वितीय पंक्ति में "माथिसिल" के स्थान पर "माथिलि" और "येरपोर" के स्थान पर "जयपोर" पढ़ा जाए ;

(4) पृष्ठ संख्या 2996/5 पर सारणी ख में, स्तम्भ 2 के अधीन, 90—नौरंगपुर के समक्ष छठी पंक्ति में "भागत: कोग्रा" को सातवीं पंक्ति में "भागत: अम्बाभाटा" के बाद पढ़ा जाए ;

(5) पृष्ठ संख्या 2996/6 पर सारणी ख में, स्तम्भ 2 के अधीन, 96—धर्मगढ़ (अ० जा०) के समक्ष तृतीय पंक्ति में "कंरगामल" के बाद "ग्राम" अन्त: स्थापित किया जायगा ;

(6) पृष्ठ संख्या 2996/8 पर सारणी ख में, स्तम्भ 2 के अधीन, 108—पटनागढ़ के समक्ष द्वितीय पंक्ति में "नेकापानी" के स्थान पर "तेनकापानी" पढ़ा जाए ;

(7) पृष्ठ संख्या 2996/9 पर सारणी ख में,

(क) शीर्षक में "धेनजानल" के स्थान पर "धेनकानल" पढ़ा जाए ;

(ख) स्तम्भ 1 में "120—कामरख्यानगर" के स्थान पर "120—कामाख्यानगर" और स्तम्भ 2 के अधीन प्रथम पंक्ति में "कामारख्यानगर" के स्थान पर "कामाख्यानगर" पढ़ा जाए ;

(ग) स्तम्भ 2 के अधीन 121—पाल लहारा के समक्ष प्रथम व द्वितीय पंक्ति में "कामरख्यानगर" के स्थान पर "कामाख्यानगर" पढ़ा जाए ;

(8) पृष्ठ संख्या 2996/12 पर सारणी ख में, स्तम्भ 2 के अधीन, 138—बीरमित्रपुर (अ० ज० जा०) के समक्ष द्वितीय पंक्ति में "बिसा" के स्थान पर "बिश्रा" और "जगइकेला" के स्थान पर "जरईकेला" पढ़ा जाए ;

(9) पृष्ठ संख्या 2996/13 पर सारणी ख में,

(क) स्तम्भ 2 के अधीन 142—चम्पुआ (अ० ज० जा०) के समक्ष पंचम पंक्ति में "झुमझुरा" के स्थान पर "झुमपुरा" पढ़ा जाए ;

(ङ) स्तम्भ 2 के अधीन 144-क्योझर (अ० ज० जा०) के समक्ष द्वितीय पंक्ति में "झमपुरा" के स्थान पर "झुमपुरा" पढ़ा जाए ;

(10) पृष्ठ 2996/14 पर, टिप्पण में, "प्रथम दिन को सम्मिलित था" शब्दों के बाद "परन्तु कटक शहर के वार्डों का उस क्षेत्र के प्रतिनिर्देश से इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा जो वार्ड उक्त शहर को 1973 के मार्च के प्रथम दिन को सम्मिलित थे" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 282/उड़ीसा/73]

आदेश से,

पी० आई० जेकब, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974